# लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

## पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 017/2023 (GCMS 2023/63) | 21.02.2023 | 01.03.2023 |

**अनवान**

बाबूलाल टेलर निवासी ए–101, गांधीनगर, सेक्टर नंबर 05, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

**अपीलांट**

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

**रेस्पोंडेंट**

**प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**–:: निर्णय ::–**

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ से सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 13.01.2023 को प्रस्तुत किया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./017/2023(सू.अ.)(01.03.2023)/178 दिनांक 21.02.2023 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 01.03.2023 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 01.03.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने नियत दिनांक 01.03.2023 को स्वयं उपस्थित होकर जरिये प्रार्थना पत्र अपना पक्ष रखा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आदिनांक तक उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अतः चाही गई सूचनाऐं उपलब्ध कराने का आदेश प्रदान करावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/22 दिनांक 01.03.2023 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

1. यह कि प्रार्थी श्री बाबूलाल टेलर निवासी ए–101, गांधीनगर, से. नं. 05, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2023 को प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से प्रार्थना पत्र की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/09 दिनांक 16.01.2023 को सूचना इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया हैं, जिस पर वांछित सूचना आदिनांक अप्राप्त हैं।
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होने पर यथाशीघ्र प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी जावेगी।
4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/22 दिनांक 01.03.2023 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/09 दिनांक 16.01.2023 से उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ को अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना विधिवत् तैयार कर नियमानुसार उसे उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया हैं। इस पर हाजिर अपीलार्थी ने अवगत कराया कि उसे आदिनांक तक सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर द्वारा वांछित सूचना हेतु किसी भी माध्यम से संपर्क नहीं किया गया हैं। साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर द्वारा भी आदिनांक तक उक्त आवेदन पर की गई कार्यवाही के संबंध में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी को अवगत नहीं कराया गया है। जो कि सर्वथा अनुचित प्रतीत होता हैं। इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित कमेण्ट्स में यह निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपखण्ड अधिकारी भदेसर से प्राप्त हो जाने पर अपीलार्थी को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जावेगी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित उक्त जवाब/कमेण्ट्स से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उसे आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वर्णित तथ्य कि उसे निर्धारित समयावधि में वांछित सूचना संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं हुई हैं, उचित प्रतीत होता हैं।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ व सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन में वर्णित प्रकरण पर ठोस कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करते हुए उसके द्वारा वांछित सूचना 15 दिवस में विधिवत् नियमानुसार तैयार कर अपीलार्थी को निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें। इसके साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् प्रस्तुत समस्त आवेदनों पर निर्धारित समयावधि में नियमानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>**01.03.2023**</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

**-SD-**

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official